

जीजेईपीसी/नवीनीकरण/2014-2015/र्

सेवा में,

गजरात स्थित परिषद के सभी एसोसिएट सदस्य/साधारण सद



सदस्यों को यह भी ध्यान रखने का अनुरोध किया जाता है जनवरी 2015 से परिषद मि सदस्यता किया प्रमाणपत्र की ऑनलाइन प्रिंटिंग सुविधा भी कार्यान्वित कर दी है। परिषद द्वारा सदस्यता जारी हो जाने पर डिजिटली हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र प्रिंटिंग के लिए उपलब्ध होंगे और आप www.gjepc.org पर लॉगइन करने के आप अपने माई जीजेईपीसी डैशबोर्ड से इसका प्रिन्ट आउट ले सकते हैं।

सदस्यों से पुनः अनुरोध किया जाता है कि परिषद द्वारा प्रदत्त विभिन्न सेवाएं जैसे प्रदर्शनी इत्यादि के साथ केपी शुल्क में रियायत का अविराम लाभ लेने हेतु अपनी सदस्यता का नवीनीकरण 30 अप्रैल 2015 अथवा उससे पूर्व अवश्य करवा लें।

कख़्या ध्यान रहे कि, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देसानुसार और परिषद की प्रशासन सिमिति के निर्णय पर, जीजेईपीसी में सदस्यता पंजीकरण के लिए एक नया पैनल "सिल्वर ज्वेलरी" बनाने का निर्णय लिया है।

इस प्रकार, अपने विवेकाधिकार पर सदस्य अपने पैनल प्रतिनिधित्व में संशोधन/परिवर्तन कर सकते हैं। पैनल में परिवर्तन सदस्य द्वारा लिखित अनुरोध के आधार पर निर्भर होगा। निवेदन फॉर्म जीजेईपीसी की वेबसाइट पर आपके व्यक्तिगत मेम्बरशिप डैशबोर्ड पर उपलब्ध है।

भुगतान चालान में पिछले वर्ष किए गए निर्यात घोषणा का मदवार डेटा अंकित करने का प्रावधान किया गया है।

जीजेईपीसी सभी सदस्यों को आईडी कार्ड भी जारी कर रही है। इससे संबंधित परिपत्र ई मेलर द्वारा जारी किया जा चुका है। संदर्भ हेतु परिशिष्ट-3 संलग्न है। सदस्यों से अनुरोध है कि परिषद द्वारा प्रदत्त ऐसी सुविधा का लाभ उठाएं।

किसी भी जानकारी या संसय के समाधान के लिए आप सदस्यता विभाग के फोन नं. 91-261-220 9000 या surat@gjepcindia.com पर ई-मेल द्वारा संपर्क कर सकते है।

धन्यवाद.

वास्ते रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद

जील्पा ए॰ शेठ

सहायक निदेशक

Helieus

संलग्न: परिशिष्ट -1

रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद

क्षेत्रीय कार्यालय: 401 - A, इंटरनेशनल कॉमर्स सेन्टर, कडीवाला स्कूल के पास, रिंग रोड, सुरत - 395002 - (भारत)
Regional Office: 401 - A, International Commerce Centre, Near Kadiwala School, Ring Road, Surat - 395002 (India) दूरभाष: 91-261-2209000 फैक्स: 91 - 261 - 2209040 ई-मेल: surat@gjepcindia.com CIN: U99100MH1966GAP013486

प्रधान कार्यालय: टॉवर-ए, एडब्ल्यु-1010, जी.ब्लॉक, भारत डायमंड बोर्स, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लैक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 - (भारत)

Head Office: Tower-A, AW-1010, G Block, Bharat Diamond Bourse, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051 (India)
फोन / Tel.: 91-22-2654 4600 फॅक्स / Fax: 91-22-2652 47 64. ई-मेल / E-mail: gjepc@vsnl.com / ho@gjepcindia.com वेबसाइट / Website: www.gjepc.org

वित्त वर्ष 2015-16 के लिए सदस्यता शुल्क

1-सदस्यता शुल्क :- वर्ष 2015-16 के लिए सदस्यता शुल्क चालान में दर्शाए गए निर्यात एवं आयात की स्वत:घोषणा के साथ वर्ष 2014-15 में फर्म के निर्यात निष्पादन के अनुसार देय होगा।

2. सेवा कर: जो भी लागू हो।

3. वर्ष 2015-16के लिए आपकी एसोसिएट सदस्यता/साधारण सदस्यता के नवीनीकरण हेतु आपको दवारा निम्नलिखित राशि देय है :

data telesitate and da 6 .	
वर्ष 2014 -15 के दौरान रत्न एवं आभूषण का निर्यात निष्पादन	वर्ष 2015-16 के लिए सदस्यता शुल्क
	₻ ₹.
25 लाख रु. तक निर्यात	6000/-
25 लाख रु. से अधिक और 1 करोड़ रु. तक निर्यात	10,000/-
1 करोड़ रु. से अधिक और 5 करोड़ रु. तक निर्यात	15,000/-
5 करोड रु. से अधिक और 15 करोड रु. तक निर्यात	30,000/-
15 करोड़ रु. से अधिक और 50 करोड़ रु. तक निर्यात	40,000/-
50 करोड रु. से अधिक और 100 करोड रु. तक निर्यात	65,000/-
100 करोड रु. से अधिक और 500 करोड रु. तक निर्यात	1,00,000/-
500 करोड रु. से अधिक और 100 करोड रु. तक निर्यात	1,50,000/-
1000 करोड़ रु. से अधिक निर्यात	2,00,000/-
	4

नये सदस्य के लिए प्रवेश शुल्क/विलंब से नवीनीकरण शुल्क रु.5000 + सेवा कर देय होगा।

4-बकाया भुगतान : - यह भी नोट करें कि वर्ष 2015 -16 के सदस्यता का नवीनीकरण करते समय गत वर्ष मे परिषद के सदस्य द्वारा देय किसी भी बकाया को गंभीरता से लिया जाएगा यदि वह परिषद की संतुष्टि के अनुरूप न्यायोचित नहीं है।

इस संदर्भ में, यह सूचित किया जाए कि परिषद को देय सभी भुगतानों को उस स्थिति में बकाया माना जाएगा यदि वह परिषद की ओर बकाया और देय हो और वह परिषद द्वारा जारी किए गए बिल की तारीख से 3 (तीन) माह से अधिक समय से बकाया हो तो इस संबंध में परिषद के निर्णय को अंतिम माना जाएगा यदि बिल के राशि के कोई असंगति/विवाद हो तो ऐसे बिल जारी करने की तारीख से 30 (तीस) दिन के भीतर परिषद की जानकारी में न लाया गया हो उसे भी बकाया माना जाएगा।

5-कंपनी समूह :- सदस्यों के लिए यह नोट करना अनिवार्य है कि कंपनी समूह की प्रत्येक कंपनी के लिए सदस्यता का नवीनीकरण करना अपेक्षित है, ऐसा न करने पर सदस्यता केवल उस कंपनी विशेष के लिए ही वैध मानी जाएगी जिसने अपनी सदस्यता का नवीनीकरण करा लिया है और जिसका नाम सदस्यता नवीनीकरण प्रपत्र और प्राप्ति चालानों में दर्शाया गया है। शंका के निवारण हेतु परिषद द्वारा प्रदत्त सुविधाएं उन्हीं सदस्यों को प्रदान की जाएंगी जिनके नाम सदस्यता नवीनीकरण प्रपत्र, प्राप्ति चालान, सदस्यता प्रमाण-पत्र और परिषद द्वारा जारी आरसीएमसी में दर्शाए गए हों। अत: यह

उल्लेखनीय है कि किसी समूह में आने वाली प्रत्येक कंपनी को इन शर्तों के अनुसार अपनी सदस्यता का नवीनीकरण कराना चाहिए।

6-नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत न करना :- सदस्यता के नवीनीकरण के अभाव में फर्म को संस्था के जापन और अंतर्नियम के अनुच्छेद 11.1 और 11.2 के अनुसरण में परिषद द्वारा प्रदत्त विभिन्न विशेषाधिकारों का प्रयोग करने और परिषद के सदस्यों को निम्नलिखित में भागीदारी हेतु प्रदान किए जाने वाले ऐसे कार्यकलापों तथा सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा।

- भारत/विदेश में कोई आयोजन/प्रदर्शनी में भागीदारी.
- प्रतिनिधिमंडलों में भागीदारी.
- क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों में भागीदारी.
 - वार्षिक प्रस्कार हेत् नामांकन.
 - सॉलिटेयर इंटरनेशनल, आइडियल कट एवं परिपत्रों की प्राप्तिः
 - सेमिनारों एवं कार्यशालाओं में उपस्थिति.
 - वीजा हेतु संस्तृति पत्र.
 - विदेश में आयोजित प्रदर्शनियों, व्यापार संवर्धन दौरों, विदेश में ब्रांडेड आभूषणों के प्रदर्शन आदि में भागीदारी हेत् अन्मतियाँ.

सामान्य नियम एवं विनियम

1- सदस्यता नियमों के बारे में मेमोरंडम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएस के परिच्छेद 1 और सदस्यता के नियम।

2- सदस्यों की श्रेणियाँ.

3-1 परिषद के सदस्यों की श्रेणियाँ.

परिषद में सदस्यों की निम्नलिखित श्रेणियाँ होंगी अर्थात :

- (क) एसोसिएट सदस्य :
- (ख) साधारण सदस्य :

3.2- एसोसिएट सदस्य

कोई व्यक्ति उस उत्पाद के संबंध में जिससे परिषद संबंधित है, विदेश व्यापार महानिदेशालय, भारत सरकार से आयात-निर्यात कोड संख्या प्राप्त करने के बाद एसोसिएट सदस्य के रूप में परिषद में प्रवेश लेने का पात्र होगा।

3.3- साधारण सदस्य

परिषद की साधारण सदस्यता हेतु पात्रता के लिए किसी व्यक्ति को निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूर्ति करनी चाहिए, अर्थात :

- (क) वह अथवा उसके द्वारा प्रतिनिधित्व की गई कंपनी कम से कम तीन वर्ष तक परिषद की एसोसिएट सदस्य होनी चाहिए।
- (ख) उसके अथवा उसके द्वारा प्रतिनिधित्व की गई कंपनी के खाते में तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तीन वित्तीय वर्षों के दौरान एसोसिएट सदस्य हो।
- (ग) उत्पाद के संबंध में औसत निर्यात नीचे उल्लिखित राशि से कम नहीं होने चाहिए :

- (i) लघु उद्योग
- 10 लाख रु.
- (ii) अन्य

25 लाख रु.

8.-परिषद की सदस्यता हेतु अयोग्यताएँ

8.1- अयोग्यता

कोई व्यक्ति परिषद का सदस्य बनने अथवा सदस्य के रूप में बने रहने के लिए अयोग्य हो जाएगा, यदि

- (क) उसे सक्षम न्यायालय दवारा मानसिक रूप से असक्षम पाया गया हो;
- (ख) उसने दिवालियापन हेत् न्याय-निर्णयन हेत् आवेदन किया हो अथवा ऐसा न्याय निर्णीत हो गया हो;
- (ग) उसे किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक आचरण के किसी अपराध में दोषी ठहराया गया हो और उसे 6 माह से अधिक के कारागार की सजा सुनाई गई हो।
 - (घ) उसने अथवा ऐसी किसी फर्म जिसका वह भागीदार है अथवा ऐसी किसी निजी कंपनी जिसका वह निदेशक है, ने अधिनियम की धारा 295 या धारा 299 का उल्लंघन किया हो।
 - (इ) वह अधिनियम की धारा 203 के अंतर्गृत न्यायालय के आदेश द्वारा अयोग्य बन गया हो।
 - (च) वह उस कंपनी का सदस्य न रह गया हो जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है अथवा ऐसी कंपनी जो परिषद की सदस्य न रह गई हो।
 - (छ) अन्च्छेद 8.2 के अंतर्गत उसका नाम सदस्य रजिस्टर से हटा दिया गया हो।

8.2- समिति द्वारा निष्कासन

समिति किसी सदस्य को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद किसी विशिष्ट अविध के लिए अथवा अनिश्चित काल के लिए उक्त सदस्य के नाम को सदस्य रजिस्टर से हटा सकती है :

- (क) यदि उसने सदस्यता की किसी शर्त का उल्लंघन किया हो, अथवा
- (ख) यदि उसके पास सदस्यता शुल्क अथवा परिषद को उसकी ओर से देय किसी अन्य राशि का भ्गतान 6 माह से अधिक समय तक लंबित पडा हो, अथवा
- (ग) यदि वह परिषद या समिति की बैठकों में असामान्य आचरण का दोषी पाया गया हो; अथवा
- (घ) यदि उसे अन्यथा सदस्य बनने में आचरणगत दोषी पाया गया हो, अथवा
- (ङ) यदि वह अनुच्छेद 8.1 के अंतर्गत अयोग्य बन गया हो।

8.3-एसोसिएट सदस्यता में परिवर्तन

समिति किसी सदस्य को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद साधारण सदस्य की सदस्यता को एसोसिएट सदस्यता में परिवर्तित कर सकती है यदि तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष के बाद वित्त वर्ष के दौरान उत्पाद के निर्यातक के रूप में उसका निष्पादन अनुच्छेद 3.2 के खण्ड(ख) में उल्लिखित औसत से कम रहा हो।

11- सदस्यों के विशेषाधिकार

11.1-साधारण सदस्य

परिषद के मेमोरंडम एण्ड आर्टिकल में साधारण सदस्यों को प्रदत्त सभी अधिकारों के साथ इन अंतर्नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन साधारण सदस्यों के पास निम्नलिखित अधिकार और विशेषाधिकार होंगे अर्थात:

(क) सिमिति के सदस्य के चुनाव हेतु उम्मीदवार के रूप में खडे होने और वोट देने का अधिकार तथा परिषद के किसी बैठक में लाए गए सभी मामलों पर वोट देने का अधिकार बशर्ते मतदान के वर्ष में 1 अप्रैल को उनके द्वारा परिषद की तरफ अंशदान अथवा अन्य राशि अथवा प्रभार की कोई राशि बकाया न हो।

- (ख) इन अंतर्नियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार बैठक का आग्रह करने का अधिकार;
- (ग) निर्धारित शुल्क के भुगतान पर समिति की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार;
- (घ) निर्धारित शर्तों पर परिषद का प्रकाशन प्राप्त करने का अधिकार; और
- (ङ) निर्धारित शर्तों पर ऐसी सभी सुविधाओं* का उपयोग करने का अधिकार जिन्हें परिषद द्वारा समय-समय पर ऐसे सदस्यों को उपलब्ध कराया जाए।

11.2-एसोसिएट सदस्य

परिषद के मेमोरंडम एण्ड आर्टिकल में सदस्यों को प्रदत्त सभी अधिकारों के साथ सदस्यों के पास निम्नलिखित अधिकार और विशेषाधिकार होंगे, अर्थात:

- (क) निर्धारित शुल्क के भ्गतान पर समिति की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार;
- (ख) निर्धारित शर्तों पर परिषद के प्रकाशन प्राप्त करने का अधिकार; और
- (ग) निर्धारित शर्तों पर ऐसी सभी सुविधाओं का उपयोग करने का अधिकार जिन्हें परिषद द्वारा समय-समय पर उपलब्ध कराया जाए।

स्विधाएं, अर्थात

- भारत/विदेश में कोई आयोजन/प्रदर्शनी में भागीदारी.
- प्रतिनिधिमंडल में भागीदारी.
- क्रेता-विक्रेता सम्मेलन में भागीदारी.
- वार्षिक पुरस्कार के लिए नामांकन.
- सॉलियेटर इंटरनेशनल, आइडियल कट एवं परिपत्रों की प्राप्ति.
- सेमिनारों एवं कार्यशालाओं में उपस्थिति.
- वीजा हेत् संस्तृति पत्र.
- विदेशी प्रदर्शनियों, निर्यात संवर्धन दौरा, विदेश में ब्रान्डेड आभूषण की प्रदर्शनी आदि में भाग लेने के अनुमतियाँ।

13- विशेषाधिकार का स्थगन

13.1- अंशदान का भुगतान न करना

यदि कोई सदस्य (साधारण या एसोसिएट), जिस वर्ष के लिए अंशदान देय बनता है, उस वर्ष की 30 अप्रैल तक अपने वार्षिक अंशदान का भुगतान करने में विफल रहता है, तो

(क) वह ऐसे सदस्य के रूप में किसी अधिकार या विशेषाधिकार का प्रयोग करने का पात्र नहीं

होगा, और

(ख) सिमिति उसकी सदस्यता निलंबित कर सकती है, उसका निलंबन तब तक रहेगा जब तक वह बकाया भुगतान नहीं करता है, और सिमिति इस तरह के बकाया लिखित रूप में स्वीकार नहीं करती है और उसके निलंबन को बहाल नहीं करती।

समाप्त.

परिशिष्ट-2

नवीनीकरण हत्ने ुसदस्यता शुल्क को जमा करने की विधि

- 1. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने खुद के हित में नीचे दिए गए दिशानिर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करें और कोई कठिनाई होने की स्थिति में तत्काल परिषद से संपर्क करें।
- 2. निर्धारित चालान पर बैंक द्वारा भुगतान प्राप्ति की मुहर वाले प्रति की फोटो कॉपी चालान पर दिये गए पते पर परिषद के कार्यालय में जमा करें।
- अथवा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करें।
 सूरत शहर स्थित सक्ष्मी सदस्यों को सदस्यता शुल्क काभग्रुतान इंडियन बैंक, 12 से 15 रेशमवाला मार्केट सूरत अठठ003 में ही भुगतान करने की आवश्यकता है। अथवा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय में हथोहाथ या क्रियरके द्वारा जमा करें।
- 4. सदस्यता देय शुल्क परिषद के खाते में क्रेडिट होने के बाद ही जारी कि जाएगी न कि, बैंक में चेक/डीडी/पीओ जमा करने की तारीख के आधार पर । यदि चेक पास नहीं होता है, तो सदस्यता को निलंबित माना जाएगा और चेक पास न होने के कारण बैंक द्वारा लिये गए शुल्क का भुगतान उस सदस्य(यों) को जीजेईपीसी को करना होगा।
- 5. यदि किसी सदस्य को सदस्यता की तत्काल आवश्यकता हो तो वह देय शुल्क का भुगतान जीजेईपीसी के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा पे ऑर्डर द्वारा किसी भी अधिकृत बैंक में कर त्वरित लाभ ले सकता है। कृपया पे ऑर्डर /डीडी के पीछे अपने कंपनी का नाम और संपर्क नंबर अवश्य लिखे।
- 6. वेबसाइट से चालान तीन प्रतियों में मुद्रित किया जा सकता है, और उसे सदस्यता शुल्क के साथ ऊपर बताये गए के अनुसार केवल इंडियन बैंक में ही भुगतान करना है अथवा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करें। जो सदस्य(यों) (सूरत शहर बाहर के स) चेक दावरा भुगतान करें वे (पेयबले एट पर/डीडी/पे-ऑर्डर) वाले राष्ट्रीयकृत बैंक के चेक भेजनेकी कृपया करें।
- 7. भुगतान के बाद बैंक से प्राप्त प्रतिलिपि परिषद को ई-मेल द्वारा भी भेजी जा सकती है। कृपया संदर्भ हेतु विषय पंक्ति में सदस्यता संख्या का उल्लेख करें।
- 8. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए चालान की एक फोटोकॉपी अपने पास रखें।
- 9. भ्गतान चालान के किसी भी कॉलम को खाली छोड़े बिना पूरी तरह से पूरा भरना चाहिए।
- 10. चालान पर यथानुसार निर्यात/आयात की घोषणा को संस्थान के मालिक/भागीदार/निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए और फर्म की मुहर के साथ जमा किया किया जाना चाहिए। हर ऐसे स्वयं घोषणा को परिषद द्वारा सही और वैध अर्थ लगाया जाएगा और इस प्रकार सरकार के एक प्राधिकारी या संस्था की तरह के तहत आदेश प्रसार के अनुरूप माना जाएगा। चालान पर किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा असत्य घोषणा के लिए सदस्य परिषद को किसी भी प्रकार के उत्तरदायित्व अथवा किसी भी तृतीय पक्ष के दावे से मुक्त रखेगा जो की किसी भी तीसरे पक्ष के आयात/निर्यात के घोषित दावे के प्रसार में से यदि कोई भी झूठ निकला तो यह झूठ की क्षतिपूर्ती सदस्य की जिम्मेदारी होगी।
- 11. सदस्यता शुल्क के लिए एफओबी के आधार पर भुगतान किया जाना आवश्यक है जो वर्ष 2014-15 के दौरान रत्न और आभूषण के निर्यात वस्तुओं (01-4-2014 से 31-3-2015 तक यानी, दोनों दिन शामिल) के मूल्य के रूप में अनस्वनक-1 में दिखाया गया है।
- 12. सदस्य वेबसाइट पर उपलब्ध नवीकरण फार्म विधिवत हस्ताक्षर कर बैंक द्वारा समर्थन भुगतान चालान सिहत सदस्यता के रूप में ई-मेल, क्रियर द्वारा या हैंड डिलिवरी के द्वारा अनुबंध-3 में उल्लिखित पते पर अपने क्षेत्र में स्थित संबंधित परिषद के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं.
- 13. पैनेल में परिवर्तन के लिए निवेदन का फॉर्मेट (प्रारूप) जीजेईपीसी के वेबसाइट पर आपके मेम्बरशिप डैशबोर्ड पर उपलब्ध है। अपने लेटर हेड पर इसका प्रिन्ट आउट लीजिये और इसे जीजेईपीसी में जमा कीजिये।

सूरत शहर के बाहर स्थित सदस्य

जो सदस्यों सूरत के बाहर स्थित है और कूरियर / अंगड़िया सेवा का उपयोग करते है वे विधिवत प्रीपेड कवर भेजे वरना अवैतनिक कवर स्वीकार नहीं किया जाएगा और वितरण एजेंटों को वापस देदीया जाएगा, सदस्यों ईस पर ध्यान दे ये उनके स्वयं के हित में उस पर गौर करनेकी कृपिया करे।

परिशिष्ट-3

संदर्भ: जीजेसी/मेम्बरकार्ड/2014-15/ सेवा में, परिषद के सभी सदस्य, 26th March, 2015

विषय: जीजेईपीसी के सदस्यों को फोटो आईडी कार्ड जारी करना।

प्रिय सदस्य,

उपरोक्त विषयानुसार हमारेपत्र तारीख 28 जनवरी 2015 के क्रम में हम आपको सूचित करते है की परिषद अपने सदस्यों को जीजेईपीसी फोटो आईडी जारी करने की प्रक्रिया में है।

जीजेईपीसी फोटो आईडी कार्ड हर वर्ष 31 मार्च तक ही मान्य होगा और सदस्यता के निवनीकरण के आधार पर इसे फिर से नवीनिकृत किया जाएगा और इसमे भागीदार/निदेशक /मालिक, फर्म का नाम और पता, जारी करने की तारीख, सदस्यता नंबर और कार्ड का आईडी नंबर शामिल होगा।

यह ध्यान में रखना जरूरी है कि, एक सदस्य को केवल एक ही कार्ड जारी किया जाएगा, भले ही वह व्यक्ति एक से ज्यादा फर्म में भागीदार/निदेशक /मालिक है।

दूसरे चरण में जीजेईपीसी कार्ड को आईआईजेएस सिग्नेचर के आगंतुक भागीदारी से लिंक कर दिया जाएगा और सदस्यों को भागीदार/ मालिक / निदेशक के लिए आगंतुक बैज पाने के लिए दस्तावेजों को दोबारा जमा नहीं करना पड़ेगा।

सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे प्रामाणिक आईडी प्रुफ (पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पास्पोर्ट, आधार कार्ड (कोई भी एक)) के साथ अपना नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ स्कैन करके नीचे दिये गए ईमेल पते पर भेज दें।

अधिक जानकारी के लिए कृपया जीजेईपीसी सदस्यता कार्ड टीम से 91-22-40203670 और member.card@gjepcindia.com पर संपर्क करें।

धन्यवाद,

सादर

Sd/-

सब्यासची रे कार्यकारी निदेशक